

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना सं०-1802 दिनांक-23.03.2006 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली' 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली' 2006, वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566, दिनांक-14.07.2010, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068, दिनांक-13.06.2013, वित्त विभाग के पत्रांक-10936 (वि०) दिनांक-27.11.2014 के आलोक में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक-07.02.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक-544 (नि०) दिनांक-22.02.2018 से निर्गत है) के आधार पर बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय के अधीन विभिन्न संवर्गों/पदों के विरुद्ध नियुक्त निम्नांकित कुल-08 कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	तृतीय ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, लिपिक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना	12.03.1965 31.03.2025	07.03.1986 टंकक लिपिक	प्राप्त	प्राप्त	07.03.2016 ग्रेड वेतन-4800	
2	श्री अनिल कुमार, लिपिक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना	27.07.1966 31.07.2026	24.12.1986 आंशु लिपिक	प्राप्त	प्राप्त	24.12.2016 ग्रेड वेतन-4800	
3	श्री मनोज कुमार वर्मा, प्रधान लिपिक, जिला पशुपालन कार्या० सिवान	12.01.1967 31.01.2027	10.11.1986 लिपिक	वित्त विभाग के पत्रांक-10936, दिनांक-27.11.2014 के आलोक में विभागीय परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्णता के कारण पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 106 (नि०) दिनांक 16.01.2014 के द्वारा प्रदत्त प्रथम ए०सी०पी० को संशोधन करते हुए दिनांक-29.08.2011 (ग्रेड वेतन-2800/-)	अदेय	अदेय	

Handwritten signature and initials

	2	3	4	5	6	7	8
4	श्री मकेश्वर यादव, लेखापाल, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा	02.01.1958 31.01.2018	01.08.1991 लिपिक	01.08.2003 4500-7000	अनुमान्य नहीं	अनुमान्य नहीं	निदेशक पशुपालन के आदेश ज्ञापांक 302 नि० दिनांक 31. 03.2012 के द्वारा निलंबित। नि० प०पा० के आदेश ज्ञापांक 2887 (नि०) दिनांक 29.12.201 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त। संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक। शास्ति अवधि का प्रभाव।
5	श्री भोला प्रसाद भटाचार्य, लिपिक जिला पशुपालन कार्या० जमुई	24.11.1971 30.11.2031	12.10.2000 लिपिक	12.10.2010 ग्रेड वेतन-2800	अदेय	अनुमान्य नहीं	
6	श्री जयप्रकाश मिश्रा, से० नि० लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, बांका	01.01.1951 31.12.2010	07.01.1975 लिपिक	प्राप्त 09.08.1999	प्राप्त 09.08.1999	01.01.2009 ग्रेड वेतन-4800	
7	श्री सुजीत कुमार मंडल, लिपिक, आवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय, सदर भागलपुर।	24.03.1973 31.03.2033	02.03.2000 लिपिक	02.06.2014 ग्रेड वेतन-2800	अदेय	अदेय	विभागीय अधिसूचना संख्या-1175, दिनांक-02.06. 2014 के आलोक में अनुमान्य।
8	स्व० विनय कुमार श्रीवास्तव, भू० पू० लिपिक, पशु शाल्य चिकित्सक कार्या, भोतिहारी	25.01.1954 15.03.2013 (मृत्यु)	20.08.1977 टंकक सह लिपिक	प्राप्त 09.08.1999	प्राप्त 20.08.2001	01.01.2009 ग्रेड वेतन-4800	

- 2- वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 1802 दिनांक 23.03.06 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) एवं सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त किसी भी कर्मों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मों की ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ की अनुमान्यता को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप अनुमान्यता से अधिक प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
- 4- कर्मियों को स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि के पूर्व से अधिक ग्रेड वेतन /वेतनमान पाने वाले कर्मियों से अधिक्य निकासी की वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे।
- 5- कर्मियों के संबंध में प्रस्ताव भेजने वाले कार्यालय का नाम (जहाँ उक्त कर्मों तत्समय पदस्थापित थे) इस विवरणी के स्तम्भ-2 में अंकित है। ऐसे कर्मों जिनका सम्प्रति स्थानान्तरण किसी अन्य कार्यालय में हो गया है उनके संबंध में उनका कार्यालय- वर्तमान पदस्थापन कार्यालय समझा जायेगा एवं तदनुसार सभी अनुवर्ती

कार्रवाई उनके वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। इस संबंध में अलग से शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 6- यह आदेश ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक-07.02.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक-544 (नि0) दिनांक-22.02.2018 से निर्गत है) के आधार पर निर्गत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक में पशुपालन निदेशालय में गठित ए0सी0पी0 कोषाग द्वारा विभिन्न कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समीक्षोपरांत उपस्थापित किये गये विवरणी के आधार पर निर्णय/अनुशंसा की गई है।
- 7- निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से सभी संबंधित कर्मियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुये इनकी सेवा पुस्त में इस आदेश की प्रवृष्टि निश्चित रूप से करेंगे।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/-

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।


ज्ञापांक- 7 स्था0 (7) विविध-32/2016..... 615 (क)

दिनांक- 27/02/2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/सभी सहायक निदेशक, कुक्कुट, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना/ गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना/परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (पशु विकास) मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर/परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना/प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर/प्रबंधक, बकरी प्रजनन, मरंगा, पूर्णियाँ/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के सभी सदस्यों/पशुपालन निदेशालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक, पशुपालन।